कार्यालय कार्यपालन यंत्री राजघाट बांई नहर वितरण संभाग खनियांधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क्र.1194/कार्य/लो.ओर.परि./भू-अर्जन/खनियांधाना/2017 दिनांक 7/06/2017

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
राजघाट नहर मण्डल
झांसी (उ.प्र.)

विषय :- लोअर ओर सिंचाई परियोजना जिला शिवपुरी के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि 968.24 हे. के एवज में 968.24 हे. प्रतिपूरक राजस्व भूमि, वन विभाग को हस्तांतरण बावत्।

संदर्भ :- कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश क्र. 37/2016-17/अ-20 (3) नजूल दिनांक 05.06.2017

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें लोअर ओर परियोजना जिला शिवपुरी के डुबान क्षेत्र में आने वाली 968.24 हे. भूमि के एवज में प्रतिपूरक राजस्व भूमि, वन विभाग को हस्तांतरित करने हेतु कलेक्टर जिला शिवपुरी के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 619/भू.अ./रा.नि./17 दि. 16.05.2017 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.) को लिखा गया।

जिले की आरक्षित भूमि में से न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.) के आदेश- प्र.क्र. /37/2016-17/अ-20(3)/नजूल दि. 05.06.2017 को पारित आदेश में ग्राम मडखेडा तहसील पोहरी की भूमि सर्वे नं. 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 कुल किता 7 कुल रकबा 240.17 हे. लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में वन विभाग की भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण उसके एवज में प्रतिपूरक राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है। आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित है। शेष भूमि के आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार, आदेश दि. 05.06.2017 की छायाप्रति

कार्यपालन यंत्री
राजघाट बांई नहर वितरण संभाग
खनियांधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पृ. क्र.1195/कार्य/लो.ओर.परि./भू-अर्जन/खनियांधाना/2017 दिनांक 7/06/2017

प्रतिलिपि :-

1. काडा कमिश्नर, विश्वैश्वरैया भवन, कोलार तिराहा, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.)।
3. वन मंडलाधिकारी वनमंडल शिवपुरी की ओर कृपया kml फाइल अपलोड हेतु अनुरोध है।
4. मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना दतिया (म.प्र.)।
5. ~~अधीक्षण यंत्री राजघाट नहर परियोजना (उ.प्र.)~~।
6. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड खनियांधाना, संबंधित तहसीलदार से सम्पर्क कर खसरे में अमल करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
राजघाट बांई नहर वितरण संभाग
खनियांधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र.क्रं. / 37 /2016-17/अ-20(3)/नजूल

ग्राम मड़खेड़ा तहसील पोहरी की भूमि सर्वे नं. 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनविभाग की भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण उसके ऐवज में प्रतिपूरक भूमि वनविभाग को हस्तांतरण करने बाबत्।

// आदेश //

(आज दिनांक 5/6/2017 को पारित)

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, राजघाट बांई नहर वितरण संभाग खनियाधाना के पृष्ठांकन क्रमांक 759/ कार्य/ लो.ओर.परि./ 2017 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना शिवपुरी से जिला शिवपुरी एवं दतिया की 90.000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु योजना तैयार की गई जिसके डूब क्षेत्र में 968.24 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होने से सिंचाई सुविधा में कमी आई है अत: क्षेत्र का जीवनस्तर उठाने हेतु भारत सरकार एवं वनपर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.03.17 को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें वनभूमि 968.24 हेक्टेयर के बराबर प्रतिपूरक राजस्व भूमि के डायवर्सन एवं स्थानांतरण की शर्त रखी गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु शिवपुरी जिले में उपलब्ध राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरण करने की मांग की गई है।

उक्त योजना के पालन करने हेतु वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपरिक्षेत्र पोहरी के पत्र क्रं. 2017/316 दिनांक 23.05.17 के द्वारा ग्राम मडखेडा के भूमि सर्वे नम्बर 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 रकवा क्रमश: 12.02, 11.05, 7.00, 82.40, 4.15, 41.43, 82.12 कुल किता 7 कुल रकवा 240.17 हेक्टेयर भूमि वन विभाग शिवपुरी को हस्तांतरण किये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त पत्र के क्रम में तहसीलदार पोहरी द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से रिपोर्ट चाही गई। ग्राम पटवारी एवं राजस्व् निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम मडखेड़ा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 (नोईयत भू-दान परिषद काबिल कास्त) रकवा क्रमश: 12.02, 11.05, 7.00, 82.40, 4.15, 41.43, 82.12 कुल किता 7 कुल रकवा 240.17 हेक्टेयर है। जिसकी नोईयत संलग्न खसरा अनुसार भूदान परिषद एवं काबिल कास्त दर्शाया गया है। साथ ही भूमि के खसरा अक्शा संलग् किया गया है।

प्रस्तावित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2017 एवं तहसीलदार पोहरी के प्रकरण क्रमांक 167/16-17/बी-121 के प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2017 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मडखेड़ा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 (नोईयत भू-दान परिषद काबिल कास्त) रकवा क्रमश: 12.02, 11.05, 7.00, 82.40, 4.15, 41.43, 82.12 कुल किता 7 कुल रकवा 240.17 हेक्टेयर वन विभाग शिवपुरी को उपयोग हेतु सहमित एवं अनुशंसा सहित हस्तांतरण किया जाना उचित बताया है।

अत: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी एवं तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन के [illegible]

ग्राम-[illegible] सर्वे क्र. 53, 54, 55, 56, 57, 271, 274 (नोईयत भू-दान परिषद काबिल कास्त) रकबा क्रमशः 12.0[illegible], [illegible] 1.05, [illegible] 82.40, 4.15, 41.43, 82.12 कुल किता 7 कुल रकबा 240.17 हेक्टेयर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग शिवपुरी को राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 की कण्डिका 36 के तहत निम्न शर्तों के अधीन नि:शुल्क आवंटित की जाती है :-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जावे. किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वत:ही निरस्त माना जावेगा।
2. आवंटित भूमि में से किसी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जावेगा।

प्रकरण में संलग्न अक्श नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पोहरी आवंटित भूमि का खसरे में अमल करायें एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर अधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखित रिकार्ड किया जावे।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.
शिवपुरी दिनांक 05/06/2017

पृ.क्रमांक/ 37 /16-17/ अ-20(3)/नजूल/2017/ 5019
प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी,पोहरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री,राजघाट बाई नहर वितरण संभाग खनियाधाना जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार,पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
8. वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. राजस्व निरीक्षक,नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

T/S
7/6/2017

कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

D:/Nazool/Order.docx(#)